न्यायपालिका

अध्याय – 04

शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं	अधिगम प्रतिफल
▪ भारत की न्याय व्यवस्था पर चर्चा करना।	▪ भारत की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं।
▪ प्रथम सूचना रिपोर्ट (F-I-R) आवेदन की सामग्री का अध्ययन करना	▪ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं।
▪ जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया का पता लगाना	▪ जनहित याचिका के बारे में जानते हैं।

शासन व्यवस्था के तीन अंग हैं— विधायिका जो कानून बनाती हैं, कार्यपालिका जो बनाए गए कानूनों के अनुसार शासन चलाती हैं और न्यायपालिका जो कानून को लागू कराती है, उनकी व्याख्या करती है। इस अध्याय में न्यायपालिका, उसकी भूमिका और कार्यों को जानेंगे।

भारतीय संविधान में भारत में 'कानून का शासन' की बात कही गई है। इसका आशय है कि सभी कानून, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। यदि किसी कानून का उल्लंघन हो तो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत न्याय की व्यवस्था की जाती है। कानून के शासन और न्याय की व्यवस्था के लिए हमारे देश में कई स्तरों पर न्यायालय हैं। ये न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। किसी लोकतंत्र के सफल होने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना एक अनिवार्य शर्त है। भारत में न्यायपालिका के स्तर हैं—सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर हैं।

न्यायपालिका की भूमिका

किसी कानून के उल्लंघन या न्याय की स्थापना का जब भी प्रश्न उठे तो न्यायपालिका की भूमिका सामने आती है। न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निम्नवत देखा जा सकता है—

विवादों का निपटारा

भारतीय न्याय व्यवस्था में नागरिकों, नागरिक एवं सरकार, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों या केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न सभी विवादों का हल करने की क्रिया विधि न्यायपालिका के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

उदाहरण स्वरुप दो व्यक्तियों के बीच दीवानी या फौजदारी मामला हो या नदियों के जल बंटवारे का मुद्दा राज्यों के बीच हो या केंद्र एवं राज्यों के बीच किसी विषय पर विवाद खड़ा

© JCERT not to be republished

हो तो ऐसे सारे मामलों के समाधान न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और संविधान एवं कानून की दृष्टि में रखकर न्यायालय के द्वारा किए गए फैसले सब पर लागू होते हैं और माने जाते हैं।

न्यायिक समीक्षा

संविधान की व्याख्या एवं उसके संरक्षण का अधिकार एवं दायित्व न्यायपालिका का है। इसी के कारण यदि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं।

कानून की रक्षा एवं नागरिक अधिकारों का संरक्षण

यदि देश के किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है।

स्वतंत्र न्यायपालिका

न्याय निष्पक्ष हो और न्यायाधीश निडर होकर फैसले दे सकें इसके लिए आवश्यक है कि, न्यायपालिका के ऊपर किसी किस्म की बंदिश न हो। संविधान निर्माताओं ने शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का एवं दायित्वों का स्पष्ट बंटवारा किया हमारे संविधान में यह स्पष्ट किया गया है विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती अर्थात न्यायालय सरकार के अधीन नहीं हों तो वे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का संपादन कर सकती हैं। यदि न्यायपालिका में नियुक्ति और न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति सामान्य रूप से कार्यपालिका या विधायिका को प्राप्त हो जाए तो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई होगी। अतः न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। यह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और निरंतरता के लिए आवश्यक है।

प्रश्नोत्तर

(बहुविकल्पी प्रश्न) सही विकल्प चुनें

प्रश्न 1. भारत में संविधान के संरक्षण का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है?

(क) कार्यपालिका (ख) विधायिका

(ग) न्यायपालिका (घ) नौकरशाही

प्रश्न 2. भारत में........ न्यायपालिका की स्थापना की गई है।

(क) अधीनस्थ (ख) स्वतंत्र

(ग) संघीय (घ) बहुलवादी

not to be republished © JCERT

प्रश्न 3. भारत में ......के शासन की स्थापना की गई है।

(क) सैनिक (ख) नौकरशाही

(ग) अधिनायकवादी (घ) कानून

प्रश्न 4. भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है?

(क) सर्वोच्च न्यायालय (ख) संसद

(ग) लोकसभा (घ) राज्यसभा

प्रश्न 5. उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के जजों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है ?

(क) कार्यकारी आदेश (ख) महाभियोग

(ग) मंत्री मंडलीय आदेश (घ) विभागीय आदेश

उत्तर. 1. ग, 2. ख 3. घ, 4. क, 5. ख।

भारत में न्यायपालिका की संरचना

- **सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT)**
- **राज्यों में उच्च न्यायालय (HIGH COURTS)**
- **जिला एवं सत्र न्यायालय (DISTRICT AND SESSION COURTS)**

यूं तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। किंतु जहां तक न्यायपालिका की बात है, यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ अदालतें ऊपर से नीचे के क्रम में स्थापित की गई है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। सबसे उपरी स्तर पर यानि केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। उसके नीचे सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो राज्यों की राजधानियों में या बड़े शहरों में स्थित हैं। फिर प्रत्येक राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। इन जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित किये गए हैं। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। इनके नीचे निचली अदालतें या LOWERCOURTS भी हैं।

उपरोक्त सभी न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऊपरी अदालतों के फैसले उसके नीचे की सभी अदालतों को मानना होता है। यदि किसी निचली अदालत के फैसले से कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं होता तो वह उससे ऊपर के कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया के मामलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है – दीवानी (CIVIL) एवं फौजदारी (CRIMINAL)। दीवानी मुकदमों में उत्तराधिकार, भूमि विवाद, विवाह, दहेज, लेन देन, आदि, जैसे मामले शामिल होते हैं। जबकि फौजदारी मामलों में चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या, लूट, बलात्कार, आदि, तरह के मामले शामिल होते हैं।

© JCERT not to be republished

न्यायपालिका को समझने के लिए इन न्यायालयों का अध्ययन आवश्यक है ।

सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT)

भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन सम्बन्धी प्रावधान संविधान की धारा 124 में की गयी है।

गठन

ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। भारत के गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पहले इसकी सुनवाई संसद भवन में हुआ करती थी। 1958 में इसे वर्तमान भवन में स्थांतरित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति से होती है। वर्तमान समय में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल 31 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की इस संख्या को संसद द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएं

भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं निम्नवत् निर्धारित हैं–

- भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
- वह राष्ट्रपति की निगाह में कानून का ज्ञाता हो।

© JCERT not to be republished

न्यायाधीशों का कार्यकाल

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की उम्र में होती है, इसके पहले भी वे त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। और यदि संसद की दृष्टि में किसी न्यायाधीश का कार्य संविधान एवं कानून के विरुद्ध हो तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ऐसे न्यायाधीश को समय से पूर्व हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नवत् हैं–

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वे विषय आते हैं जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है जैसे संघ एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद अथवा एक पक्ष में केंद्र और एक या अधिक राज्य तथा दूसरे पक्ष में एक या अधिक राज्यों के बीच का मामला, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रमुख है। इन विषयों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके अपीलीय प्राधिकार के अंतर्गत तीन तरह के वाद आते हैं– संवैधानिक, फौजदारी एवं दीवानी । इन तीनों श्रेणियों में यदि किसी मामले में किसी उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होने तथा उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति दिए जाने पर पीड़ित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार

राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले, समझौते या सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। हालांकि न्यायालय के ऐसे किसी परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते।

पर्यवेक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय को देश भर के अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के पर्यवेक्षण का अधिकार है। वह अधीनस्थ न्यायालयों न्यायिक प्रक्रिया की निगरानी एवं आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है।

© JCERT not to be republished

उच्च न्यायालय (HIGH COURT)

झारखंड उच्च न्यायालय राँची

हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, जो उन राज्यों की राजधानी में स्थित है। बड़े राज्यों में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त पीठ स्थापित किए गए हैं। दूसरी ओर छोटे राज्यों को मिलाकर एक ही कोर्ट सुनवाई के लिए रखा गया है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहले 7 राज्यों के लिए सुनवाई होती थी किंतु 1913 में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा के लिए अलग पीठ स्थापित किया गया। अभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम राज्य की सुनवाई होती है केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली के लिए अलग उच्च न्यायालय है इसी तरह जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है किंतु उसका भी अपना उच्च न्यायालय है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कई न्यायाधीश होते हैं, जैसे अपने राज्य झारखंड में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 24 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संविधान द्वारा कुछ योग्यताएँ तय की गई है जैसे वह भारत का नागरिक है। किसी अदालत में 10 वर्ष का न्याय अनुभव रखता हो या उच्च न्यायालय अथवा इस श्रेणी के न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत कर चुका हो वह राष्ट्रपति की निगाह में विख्यात विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निम्नवत देखा जा सकता है–

- **प्रारंभिक क्षेत्राधिकार**– नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा चुनावी विवादों के मामले उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं।
- **अपीलीय क्षेत्राधिकार**– दीवानी मामलों में रुपए 5000 मूल्य से अधिक के वाद तथा फौजदारी मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील की जाती है।
- **प्रशासकीय क्षेत्राधिकार**– उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति तथा तत्संबंधी नियम बनाता है।

© JCERT not to be republished

- **अधीक्षण का अधिकार**– उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण अर्थात् सुपर विजन का अधिकार रखता है। वह इसी मामले को सुनवाई के लिए निर्देश दे सकता है या सुनवाई स्थगित करने का आदेश दे सकता है। संवैधानिक मामला होने पर उसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी करवा सकता है।
- **उच्च न्यायालय यानी अभिलेख न्यायालय**– उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है उसके द्वारा दिए गए फैसले अन्य न्यायालयों के लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

जिला एवं सत्र न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिले के स्तर में फौजदारी मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश के रूप में जबकि दीवानी मामलों की सुनवाई जिला न्यायाधीश के रूप में करता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और जुडिशल मजिस्ट्रेट आते हैं।

न्यायिक प्रक्रिया को समझें

1. **प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी (F-I-R/First Information Report)**– किसी नागरिक के साथ कोई अपराध या दुर्घटना घटित हो तो न्याय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफ आई आर दर्ज कराता है।

   प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस द्वारा घटना की जांच तथा उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। जांच में साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों से पूछताछ, अपराध स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक परीक्षण बयान दर्ज करना आदि शामिल है।

   प्राथमिकी दर्ज करने में की गई देर को गैरकानूनी माना जाता है।

2. **जनहित याचिका (P-I-L/Public Interest Litigation)**– न्यायालय की शरण में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत क्षति होने पर जाता है किंतु यह एक समय साध्य एवं खर्चीली प्रक्रिया है। कई बार न्याय प्राप्ती में बहुत विलंब होता है इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 ईस्वी में जनहित याचिकाओं का प्रावधान किया। जनहित याचिकाओं के अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वयं या किसी व्यक्ति की ओर से दूसरे लोग भी शिकायत दाखिल कर सकते हैं। ऐसे मामले जनहित से जुड़े होने के कारण उन्हें जनहित याचिका का नाम दिया गया। जनसेवा की भावना रखने वाले समाजसेवी एवं हितैषी लोग जनहित याचिकाएं दायर कर लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं।

© JCERT not to be republished

प्रश्नोत्तर

A. बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनें–

प्रश्न 1. भारत न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर कौन सी अदालत स्थित है?
(क) सर्वोच्च न्यायालय (ख) उच्च न्यायालय
(ग) जिला न्यायालय (घ) सत्र न्यायालय।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
(क) प्रधानमंत्री (ख) संसद
(ग) राष्ट्रपति (घ) कानून मंत्री

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की आयु क्या है?
(क) 65 वर्ष (ख) 62 वर्ष
(ग) 60 वर्ष (घ) 64 वर्ष

प्रश्न 4. कानून की व्याख्या कौन करता है?
(क) विधायिका (ख) कार्यपालिका
(ग) राष्ट्रपति (घ) न्यायपालिका

प्रश्न 5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
(क) 65 वर्ष (ख) 60 वर्ष
(ग) 62 वर्ष (घ) 58 वर्ष

प्रश्न 6. मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?
(क) न्यायपालिका (ख) कार्यपालिका
(ग) विधायिका (घ) नौकरशाही

प्रश्न 7. दो राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है?
(क) सर्वोच्च न्यायालय (ख) प्रधानमंत्री
(ग) मंत्री परिषद (घ) कानून मंत्री

प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है?
(क) 28 (ख) 30
(ग) 34 (घ) 32

प्रश्न 9. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तिथि बताइए?
(क) 26 जनवरी 1950 (ख) 2 अक्टूबर 1948
(ग) 15 अगस्त 1947 (घ) 14 नवंबर 1956

प्रश्न 10. झारखंड उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है?
(क) 16 (ख) 18
(ग) 25 (घ) 21

उत्तर. 1– क. 2.ग. 3– क. 4– घ. 5– ग. 6– क. 7. क. 8– ग. 9– क. 10 ग

© JCERT not to be republished

B. मिलान करें

कॉलम–A	कॉलम–B
1. न्यायपालिका के शीर्ष पर न्यायालय	(क) 34
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है	(ख) उच्च न्यायालय
3. जिले में फौजदारी मामलों की सबसे बड़ी अदालत	(ग) सत्र न्यायालय
4. प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित अदालत।	(घ) सर्वोच्च न्यायालय
5. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या	(च) राष्ट्रपति

उत्तर. 1–घ, 2– च, 3– ग, 4– ख, 5– क

C. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति.....करता है।

प्रश्न 2. हमारे देश में सबसे बड़ी अपीलीय अदालत ...... है।

प्रश्न 3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ...... करते हैं।

प्रश्न 4. झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ... . है।

प्रश्न 5. जिला में स्थित न्यायालय है।

उत्तर. 1. राष्ट्रपति, 2. सर्वोच्च न्यायालय, 3. राष्ट्रपति, 4. 25, 5. जिला एवं सत्र न्यायालय।

D. अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई ?

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय कहां अवस्थित है?

प्रश्न 4. जनहित याचिकाओं की शुरुआत कब हुई?

प्रश्न 5. फौजदारी मुकदमों की सुनवाई किस अदालत में होती है?

प्रश्न 6. हमारी न्यायपालिका की संरचना कैसी है?

प्रश्न 7. सबसे निचले स्तर की अदालतों को क्या कहते हैं ?

© JCERT not to be republished

प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?

प्रश्न 9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बताएं?

प्रश्न 10. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?

प्रश्न 11. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समय से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है?

प्रश्न 12. कानूनी मामलों में राष्ट्रपति किससे परामर्श मांगते हैं ?

उत्तर. 1. रांची, 2. 26 जनवरी 1950, 3. नई दिल्ली में, 4. 1980 ई से, 5. सत्र न्यायालय में, 6. पिरामिड की तरह, 7. अधीनस्थ न्यायालय, 8. 65 वर्ष, 9. 62 वर्ष10. राष्ट्रपति, 11. महा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके. 12. सर्वोच्च न्यायालय से।

E. लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में अपनाई गई एकीकृत न्याय प्रणाली का वर्णन करें.

उत्तर. भारत में कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। किंतु न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली अपनाई गई है। यह ऊपर से नीचे के पदानुक्रम में है।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताएं क्या हैं?

उत्तर. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताएं निम्नलिखित है–

- भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या
- कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो।
- राष्ट्रपति की निगाह में कानून का ज्ञाता हो।

प्रश्न 3. उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। क्यों?

उत्तर. उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है क्योंकि इसके अभिलेखों एवं फैसलों को किसी भी अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 4. सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार क्या हैं?

उत्तर. राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता होने पर किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न, किसी समझौते या संधि पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। हांलांकि राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते।

© JCERT not to be republished

5. न्यायपालिका की संरचना कैसी है? बताइए।

उत्तर. भारत में न्यायपालिका की एकत्रित संरचना है जो पिरामिड की तरह है। इस पिरामिड के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, मध्यवर्ती हिस्से में सभी राज्यों के उच्च न्यायालय एवं आधार में बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।

प्रश्न (F) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न– (छात्र पुस्तक, शिक्षक एवं इंटरनेट की सहायता से स्वयं करें)

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. झारखंड उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की समीक्षा कीजिए।

प्रश्न 3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? इसे क्यों स्वतंत्र होना चाहिए? अपने विचार रखें।

प्रश्न 4. कानून का शासन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ उत्तर दें ।

प्रश्न 5. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 6. टिप्पणी लिखिए

(क) प्राथमिकी (एफ आई आर),

(ख) जन हित याचिका (पी आई एल) का महत्व।

(ग) जिला एवं सत्र न्यायालय।

© JCERT not to be republished